Cement Prepared from Paddy Husk

*638. SHRI A.K. ROY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware that good quality cement can be prepared from the Paddy Husk abundantly available in the country ; if so facts in detail and

(b) whether any technology to that effect has been developed in the country and applied for commercial production; if so, facts in detail ?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDI) : (a) Yes, Sir. Cementitious binder, which is different from portland cement, can be produced from rice husk. It can be used for several applications such as plastering, masonry and canal lining.

(b) Technology for manufacturing cementitious binder from rice huck and lime was initially developed at Indian Institute of Technology, Kanpur for Small Scale production and based on it NRDC has supported the establishment of a demonstration-cum-training unit of 500 tons annual capacity at Attara (UP). After trials it has started production in Jan., 83. It is found to be of satisfactory quality and conforms to ISI standards. Earlier a technology was developed by Central Building Research Institute based on the use of waste lime with paddy husk. Cement Research Institute had also developed a technology.

गन्धर्व और कुथालिया बौरा जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में मिलाना

*639. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गन्धर्व (नाच गाने से अपनी आजीविका कमाने वाले) और कुथालिया बौरा दो जातियां उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल जनसंख्या क्या है और उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करेगा; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में कब तक शामिल किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त गणना जाति के आधार पर नहीं की जाती है। अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों सहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में गन्धर्व और कुथालिया बौरा जातियों को शामिल करने के सम्बंध में प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मामले में अपनाए गए सम्बद्ध मानदण्ड के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीयक के साथ परामश करके विधिवत रूप से विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। मामले में अन्तिम रूप से विचार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण टिप्पणियों के प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में पुनः कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 343 (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही किया जा सकता है।

Signing of Antarctic Teraty By India

247. SHRI JITENDRA PRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state: